


24/3/26

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप-
प्रार्थी अधिवक्ता को अप्रार्थी के सम्मन
पेश करने बाबत कई अवसर प्रदान
किये जाने के बावजूद आज दिनांक
पेशी तक न्यायालय के आदेश की पालना
नहीं की गई है। अधिवक्ता प्रार्थी का
उक्त कृत्य न्यायालय के आदेशों की
अवहेलना परिलक्षित होती है। लिहाजा
उक्त पत्रावली अदम तकमिल में खारिज
की जाती है। पत्रावली कैसल शुमार
होकर नंबर से कम हो।



3
सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली